प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 27 मार्च, 2020**

विषयः- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित पान विकास योजनान्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1154/आर0के0वी0वाई0/ पा0वि0यो0/2019-20, दिनांक 27.03.2020 एवं कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-302/12-3-2020-100(50) /2017टीसी-1, दिनांक 24.03.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित पान विकास योजना के अन्तर्गत उपरोक्त कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि रु0-7.76 लाख के सापेक्ष कुल धनराशि रू0-7.57 लाख (रू0-सात लाख सत्तावन हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

परियोजना का नाम	लेखाशीर्षक/मद	अवमुक्त धनराशि	प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार के अन्तर्गत पान विकास योजना	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक- 2401-फसल कृषि कर्म 800-अन्य व्यय 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के 60/रा.40-के+रा.) 0204-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनायें (के 60/रा.40-के+रा.) 27-सब्सिडी	7.76	7.57
	योग-	**7.76**	**7.57**

(रूपया सात लाख सत्तावन हजार)

(1) उक्त धनराशि का व्यय एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित योजना/मद पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/मदों/कार्यो पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, वित्त नियंत्रक, उद्यान तथा संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) व्यय भारत सरकार/शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अधीन गाइड लाइन में निहित निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत लाभार्थी को दिये जा रहे लाभ में द्विरावृत्ति नहीं होगी अर्थात राज्य सेक्टर या किसी अन्य समान योजना के लाभार्थी इस योजना में शामिल नहीं होंगे। लाभार्थियों के नाम Net पर रहेंगे।

(5) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृत धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

(7) अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन तथा नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या -24/2020-662(1)/58-2020 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
(5) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(7) कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in